



# कार्यालय पुलिस नियन्त्रण कक्ष आयुक्तालय जोधपुर



## प्रेस नोट (दिनांक 28.02.2025) आयुक्तालय जोधपुर

श्रीमान राजेंद्र सिंह पुलिस आयुक्त जोधपुर के निर्देशानुसार, पुलिस आयुक्तालय जोधपुर में दिनांक 27.02.2025 को वक्त 7:00 पीएम से 11:00 पीएम तक **मैरिज गार्डनों को चैकिंग** एवं राजकोप ऐप पर संदिग्ध व्यक्तियों के फोटो मिलान कर संदिग्ध व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का अभियान चलाया गया।

रात्रि कालीन गश्त वक्त 12:00 एएम से 05:00 एएम तक के दौरान संदिग्ध वाहनों की चैकिंग, व शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों व राजकोप ऐप पर संदिग्ध व्यक्तियों के फोटो मिलान कर संदिग्ध व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही, बंपर लगे वाहनों, बिना नंबरी, काला शीशा लगे वाहनों, टैक्सी चालकों के विरुद्ध, खतरनाक तरीके, तेज गति से चलाने वाले व रॉन्ग साइड वाहन चलाने वाले चालकों के विरुद्ध एम.वी. एक्ट की कार्यवाही करने का अभियान चलाया गया।

पुलिस आयुक्तालय में मैरिज गार्डनों की सुरक्षा एवं पार्किंग व्यवस्था का निरीक्षण करें, जिसके अंतर्गत मैरिज गार्डन प्रबंधकों को पाबंद करें कि पर्याप्त रूप से पार्किंग व्यवस्था बनाए रखें। स्वच्छता का ध्यान रखें तथा सीसीटीवी कैमरों द्वारा निगरानी निरंतर रखें। गेट पर लगने वाले गार्ड को सतर्क रहने की हिदायत दे तथा वाहनों की पार्किंग पार्किंग क्षेत्र में ही करावे ताकि यातायात व्यवस्था बाधित न हो तथा मैरिज गार्डनों में लगे साउंड सिस्टम को निर्धारित समयावधि तक चलाने हेतु मैरिज गार्डनों के संचालकों/ प्रबंधकों को पाबंद करें। अग्निशामक यंत्र को दुरुस्त रखें तथा इलेक्ट्रीशियन को हर समय उपस्थित एवं सतर्क रखें। किसी भी प्रकार की आगजनी की घटना इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट या गैस रिसाव या अन्य से होने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें। इस अभियान के संबंध में कार्यवाही करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशों की पालना में समस्त वृत्त अधिकारियों ने अपने-अपने क्षेत्र के सभी थाना अधिकारी एवं पुलिस बल को अभियान के संबंध में मैरिज गार्डनों को चेक करने तथा आरएनसी एक्ट की कार्यवाही अत्यधिक करने हेतु ब्रीफ कर अलग-अलग टीमों बनाकर रवाना किया गया।

दौराने अभियान जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्र के जिला पूर्व एवं जिला पश्चिम में कुल **36** मैरिज गार्डनों को चेक किए गए, मैरिज गार्डन में लगे साउंड सिस्टम को निर्धारित समयावधि तक चलाने हेतु **05** मैरिज गार्डन संचालकों/ मालिकों को पाबंद किया गया तथा जिन मैरिज गार्डनों में तेज आवाज से साउंड सिस्टम द्वारा ध्वनि प्रदूषण करने पर आर.एन.सी. एक्ट के तहत **01** कार्यवाही की गई।

रात्रि कालीन गश्त के दौरान कुल **278** संदिग्ध वाहन चेक किए गए तथा राजकोप ऐप पर कुल **177** संदिग्ध व्यक्तियों का फोटो मिलान के साथ **76** संदिग्ध व्यक्तियों का पर्चा 'बी' भरा गया तथा शराब पीकर वाहन चलाने वाले **11** वाहन चालकों का 185 एम.वी.एक्ट के तहत कार्यवाही, **21** बंपर लगे वाहनों, **01** बिना नंबरी वाहनों, **14** काला शीशा लगे वाहनों, **06** टैक्सी चालकों व रॉन्ग साइड वाहन चलाने वाले **03** चालकों के विरुद्ध एम.वी.एक्ट के तहत चालान कार्यवाही चालान कार्यवाही की गई।

आमजन से आग्रह है कि आपके आस-पास क्षेत्र में किसी भी प्रकार की गैरकानूनी, अनैतिक, अवैध शराब/मादक पदार्थ बिक्री व संदिग्ध व्यक्ति आदि की जानकारी होने पर इसकी सूचना तुरंत संबंधित पुलिस थाना या पुलिस नियंत्रण कक्ष 100/112 व व्हाट्सएप नंबर 9530440800 पर सूचित करें

प्रभारी

पुलिस नियंत्रण कक्ष,

आयुक्तालय जोधपुर